वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 21.08.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर",अमर उजाला, ज्ञानशिखा टाइम्स, आज, न्यायाधीश, परफेक्ट मिशन,"समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला–दि0 21.08.2025

प्रमाणपत्र के लिए वीडीए उपाध्यक्ष ने किया निरीक्षण

वाराणसी। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने तीन आराजी नंबर पर बने ग्रुप हाउसिंग सूरज पैराडाइज के कंप्लीशन सर्टिफिकेट के लिए पिंडरा के धनेसरी का निरीक्षण किया। बेसमेंट, ग्राउंड के अलावा छह तल के हाउसिंग में 65 फ्लैट हैं। वीडीए उपाध्यक्ष ने बेसमेंट में डबल स्टैक पार्किंग, एसटीपी, भूतल पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, छठवें तल पर सोलर सिस्टम को देखा। इस दौरान, नगर नियोजक प्रभात कुमार, सहायक नगर नियोजक सौरव जोशी, जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा और अवर अभियंता रोहित कुमार मौजूद रहे।

वहीं, वीडीए की ओर से बुधवार को अवैध निर्माण पर कार्रवाई की गई। जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा की ओर से सिकरौल वार्ड में तीसरे तल का अवैध निर्माण ध्वस्त कराया गया। लल्लूराम ने 383 वर्गमीटर क्षेत्रफल में दो तल का शमन मानचित्र स्वीकृत कराया था। इसके विपरीत तीसरे तल का अनधिकृत रूप से निर्माण करवा रहे थे। जिस पर वीडीए ने कार्रवाई की। ब्यूरो

अमर उजाला–दि0 21.08.2025

अवैध प्लॉटिंग करने वालों की कुंडली हो रही तैयार

वाराणसी। अवैध प्लॉटिंग करने वालों की वीडीए कुंडली तैयार करवा रहा है। कॉलोनाइजर्स पर विशेष नजर है। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने बताया कि वाराणसी विकास क्षेत्र के तहत भू-स्वामी, कॉलोनाइजर्स वीडीए से लेआउट स्वीकृत कराएं। ऐसा नहीं करने पर उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा-14 का उल्लंघन माना जाएगा। बताया कि वीडीए की बिना अनुमति या कानूनी प्रक्रिया का पालन किए जमीन को छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजित कर बेच दिया जाता है। अवैध प्लॉटिंग में कॉलोनाइजर्स की ओर से मास्टर प्लान में उल्लिखित भू-प्रयोग व न्यूनतम आकार का उल्लंघन कर बुनियादी अवस्थापना सुविधाओं पर ध्यान नहीं दिया जाता है।

सीवर, पेयजल, सड़क, बिजली, पार्क और हरित क्षेत्र को विकसित किए बिना अनियमित नियोजन और विकास किया जाता है। अवैध प्लॉटिंग से कृषि भूमि और प्राकृतिक आवासों को क्षति होने के कारण पर्यावरण को नुकसान होता है। अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ वीडीए की प्रवर्तन इकाई की ओर से समय-समय पर विधिक प्रक्रिया का पालन कर तोड़फोड़ की कार्रवाई की जाती है। ब्यूरो

अमर उजाला–दि0 21.08.2025

वीडीए ने 82 आवासों का आवंटन किया

वाराणसी। वीडीए की ओर से बुधवार को चौकाघाट स्थित गिरिजा देवी सांस्कृतिक संकुल में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 82 आवासों का आवंटन लॉटरी प्रक्रिया से किया गया। इस लॉटरी में कुल 642 लाभार्थियों के सापेक्ष ग्राम हरहुआ एवं कुरहुआ स्थित आवासों का आवंटन किया गया। लाभार्थियों की उपस्थिति में पूरी कार्यवाही कराई गई। ब्यूरो

अमर उजाला–दि0 21.08.2025

विकास के लिए 8 महीने में बनेगा जीआईएस आधारित मास्टर प्लान

माई सिटी रिपोर्टर

वाराणसी। जीआईएस (भौगोलिक सूचना प्रणाली) आधारित मास्टर प्लान बनाने के लिए वीडीए ने बुधवार को मेसर्स सांई कंसल्टिंग इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड से काम कराने की अनुमति दी। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने बताया कि वीडीए के विस्तारित क्षेत्र के लिए मास्टर प्लान चयनित संस्था आठ महीने में तैयार करेगी।

उन्होंने बताया कि वाराणसी के सुनियोजित विकास के लिए वीडीए का गठन किया गया है। 1978 और 2016 की अधिसूचनाओं के माध्यम से सीमा विस्तार के लिए संशोधित किया गया। विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्रों का विस्तारीकरण होगा। बढ़ते नगरीकरण एवं जनसंख्या वृद्धि के फलस्वरूप विकास की बढ़ती प्रवृत्ति को नियोजित स्वरूप दिया जाएगा। इसके लिए विकास क्षेत्रों का विस्तारीकरण होगा। सीमा-विस्तार का औचित्यपूर्ण प्रस्ताव तैयार कर प्राधिकरण बोर्ड से अनुमोदित कराते हुए शासन को उपलब्ध कराए गए थे।

215 नए राजस्व ग्राम, क्षेत्रफल 278 वर्ग किमी : वीडीए उपाध्यक्ष ने बताया कि वाराणसी विकास क्षेत्र में 215 नए राजस्व ग्रामों को शामिल किया गया है। इनका कुल क्षेत्रफल 278 वर्ग किलोमीटर है। इस प्रकार वर्तमान में वाराणसी विकास क्षेत्र में कुल 850 राजस्व गांव शामिल हैं।

क्या है जीआईएस

जीआईएस का मतलब भौगोलिक सूचना प्रणाली है। यह एक कंप्यूटर-आधारित प्रणाली है जो भौगोलिक डेटा को इकट्ठा करने, संग्रहीत करने, विश्लेषण करने, प्रबंधित करने और प्रदर्शित करने के लिए डिजाइन की गई है। यह डेटा को मानचित्रों, चार्टों, और रिपोर्टों के रूप में प्रदर्शित करता है, जिससे उपयोगकर्ताओं को जानकारी को बेहतर ढंग से समझने और निर्णय लेने में सहायता मिलती है।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

आज–दि0 21.08.2025

मानचित्र के विपरीत भवन निर्माण पर हुई ध्वस्तीकरण की कारवाई

वाराणसी विकास प्राधिकरण अवैध निर्माण को लेकर शक्ति अपनाना शुरू कर दिया है। संबंधित विषय में विप्रा उपाध्यक्ष के निर्देश पर सभी जोनों के अधिकारी अवैध निर्माण को लेकर जवाबदेही तय करेंगे। बुधवार को सिकरौल वार्ड में भवन स्वामी लल्लु राम ने स्वीकृत मानचित्र के विपरित निर्माण कार्य कराया। शिकायत के आधार पर मौके पर पहुंची टीम ने तीसरे तल पर छत पर होल कर दिया जिससे कि वह निश्प्रयोज हो गया। इस प्रकार के तीसरे तल के ध्वस्तीकरण की भी तैयारी की गयी है। मौके पर जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्र, अवर अभियंता रोहित कुमार, क्षेत्रीय सुपरवाइजर और पुलिस की देखरेख में प्रवर्तन के लोगों ने छत पर होलिंग का कार्य शुरू किया।

ज्ञानशिखा टाइम्सस–दि0 21.08.2025

प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 82 आवासों का सफल आवंटन

वाराणसी। विकास प्राधिकरण द्वारा बुधवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 82 आवासों का आवंटन

किया गया। यह आवंटन गिरिजा देवी सांस्कृतिक संकुल, चौकाघाट में आयोजित लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से संपन्न हुआ।प्राधिकरण द्वारा आयोजित इस लॉटरी में कुल 642 लाभार्थियों के सापेक्ष ग्राम हरहुआ एवं कुरहुआ स्थित 82 आवासों* का पारदर्शी तरीके से आवंटन किया गया। लाभार्थियों की प्रत्यक्ष उपस्थिति में पूरी कार्यवाही को संपन्न कराया गया, जिससे प्रक्रिया की निष्पक्षता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित हो सकी।इस अवसर पर उपाध्यक्ष, वाराणसी विकास प्राधिकरण पुलकित गर्ग, अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व) वाराणसी वंदिता श्रीवास्तव, सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा, परियोजना अधिकारी (डूडा) निधि वाजपेयी, प्रभारी अधिकारी संपत्ति आनंद प्रकाश तिवारी, सहायक संपत्ति अधिकारी रमेश दुबे, सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

न्यायाधीश—दि0 21.08.2025

सुरज पैराडाइज ग्रुप हाउसिंग के कम्प्लीशन प्रमाण पत्र के लिए उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा स्थल निरीक्षण

वाराणसी। उपाध्यक्ष वाविप्रा पुलकित गर्ग द्वारा आराजी सं0 55/3, 56 एवं 57 मौजा-धनेसरी तहसील पिंडारा पर निर्मित ग्रुप हाउसिंग (B + G + 6th) तल पर 65 flats (सुरज पैराडाइज) के कम्प्लीशन प्रमाण पत्र हेतु स्थल का निरीक्षण किया गया। उपाध्यक्ष द्वारा स्थल पर बेसमेंट में डबल स्टैक पार्किंग (Double Stack Parking S.T.P.), भूतल पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, 6th फ्लोर पर फ्लैटों का तथा टैरस फ्लोर पर सोलर सिस्टम का निरिक्षण किया गया। स्थल पर निरीक्षण के दौरान, नगर नियोजक प्रभात कुमार, सहायक नगर नियोजक सौरव जोशी, जोनल अधिकारी (जोन-1) शिवाजी मिश्रा एवं अवर अभियंता (जोन-1) रोहित कुमार उपस्थित रहे।

न्यायाधीश—दि0 21.08.2025

अवैध प्लाटिंग पर पूरी तरह अंकुश लगाने के लिए वीडीए तैयार करेगा सूची

सूचीबद्ध कालोनाइजर्स पर रहेगी विशेष नजर

वाराणसी ।वाराणसी विकास क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न भू-स्वामियों, विकासकर्ताओं एवं कॉलोनाइजर्स द्वारा वाराणसी विकास प्राधिकरण से तलपट (ले-आऊट) मानचित्र स्वीकृति कराये बिना अवैध रूप से उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा-14 का उल्लंघन कर बिना अनुमति या कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना, जमीन को छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजित करके आम-जनमानस को छल पूर्वक विक्रय कर दिया जाता है। अवैध प्लाटिंग में कॉलोनाइजर्स द्वारा मास्टर प्लान में उल्लिखित भू-प्रयोग व न्यूनतम आकार का उल्लंघन करते हुये बुनियादी अवस्थापना सुविधाओं यथा सीवर, पेयजल, सड़क, बिजली, पार्क एवं हरित क्षेत्र इत्यादि को विकसित किये बिना अनियमित नियोजन एवं विकास किया जाता है। अवैध प्लाटिंग से कृषि भूमि और प्राकृतिक आवासों को नुकसान होने के कारण पर्यावरण को नुकसान होता है। अवैध प्लाटिंग में भूखंड क्रेताओं को ध्वस्तिकरण इत्यादि विधिक कार्यवाहियों के कारण वित्तीय क्षति भी होती है। अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध वाराणसी विकास प्राधिकरण की प्रवर्तन इकाई के द्वारा समय-समय पर विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुये ध्वस्तिकरण की कार्यवाही करते हुये अवैध प्लाटिंग करने वाले विभिन्न भू-स्वामियों, विकासकर्ताओं एवं कॉलोनाइजर्स के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करायी जाती है। प्रायः यह दृष्टिगोचर होता है कि अवैध प्लाटिंग करने वाले विभिन्न भू-स्वामी, विकासकर्ता एवं कॉलोनाइजर्स द्वारा क्षेत्र विशेष में इस प्रकार की अवैध प्लाटिंग की गतिविधियां संचालित करते हुये माफिया / भू-माफियाओं की भांति कार्य किया जाता है।उपाध्यक्ष महोदय द्वारा समस्त ज़ोनल अधिकारियों को अपने क्षेत्रांतर्गत वार्डों में वाराणसी विकास प्राधिकरण से तलपट (ले-आऊट) मानचित्र स्वीकृति कराये बिना अवैध रूप से बिना अनुमति या कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना, जमीन को छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजित करके अवैध प्लाटिंग करने वाले विभिन्न भू-स्वामियों, विकासकर्ताओं एवं कॉलोनाइजर्स के विरुद्ध विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुये ध्वस्तिकरण की कार्यवाही एवं उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही कराते हुये ङवर्तमान समय तक चिह्नित अवैध कॉलोनाइजर्स का संस्था विवरण, संपर्क विवरण इत्यादि सूचनाओं को सूचीबद्ध कर संकलित करनेङ हेतु आदेशित किया गया है, जिससे ङइस प्रकार का अवैध, अनैतिक एवं आमा जनमानस के साथ छल कपट करने वाले व्यक्तियों, संस्थाओं, कालोनाइजर्स को चिन्हित करते हुये उनकी विरुद्ध प्रभावी विधिक कार्यवाही की जा सके। इस सूची को पाक्षिक रूप से अदयतन किया जायेगा एवं इसकी अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से समीक्षा की जाएगी।

जोनल अधिकारी, जोन-01 द्वारा तृतीय तल का अवैध निर्माण ध्वस्त

वाराणसी ।उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में जोन-01 में तृतीय तल के अवैध निर्माण के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित की गयी।वार्ड-सिकरौल, मौजा-सिकरौल के अंतर्गत लल्लूराम पुत्र स्व0 सीताराम द्वारा लगभग 383 वर्गमीटर क्षेत्रफल में जी+2 तलों का शमन मानचित्र स्वीकृत कराकर स्थल पर स्वीकृत मानचित्र के विपरीत जी+2 तल के ऊपर तृतीय तल का अनाधिकृत रूप से निर्माण कार्य किया गया था, जिसके क्रम में आज दिनांक-20/08/2025 को अनधिकृत रूप से निर्मित तृतीय तल को ध्वस्त किया गया।मौके पर जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा एवं अवर अभियंता रोहित कुमार तथा प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर उपस्थित रहे।उपाध्यक्ष द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

परफेक्ट मिशन–दि0 21.08.2025

सुरज पैराडाइज ग्रुप हाउसिंग के कम्प्लीशन प्रमाण पत्र हेतु उपाध्यक्ष ने किया स्थल निरीक्षण

वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग द्वारा आराजी सं0 55/3, 56 एवं 57 मौजा-धनेसरी तहसील पिंडारा पर निर्मित ग्रुप हाउसिंग (बी +जी 6) तल पर 65 फ्लैट्स (सुरज पैराडाइज) के कम्प्लीशन प्रमाण पत्र हेतु बुधवार को स्थल का निरीक्षण किया गया।

उपाध्यक्ष ने स्थल पर बेसमेंट में डबल स्टैक पार्किंग , एस टी पी, भूतल पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, 6 फ्लोर पर फ्लैटों का तथा टैरस फ्लोर पर सोलर सिस्टम का निरिक्षण किया गया। स्थल पर निरीक्षण के दौरान, नगर नियोजक प्रभात कुमार, सहायक नगर नियोजक सौरभ जोशी, जोनल अधिकारी (जोन-1) शिवाजी मिश्रा एवं अवर अभियंता(मानचित्र) जयप्रकाश गुप्ता, अवर अभियंता (जोन-1),रोहित कुमार उपस्थित रहे।

वीडीए जोन 01 की प्रवर्तन टीम ने अवैध निर्माण पर की सख्त कार्यवाही

वाराणसी(परफेक्ट मिशन)। वीडीए उपाध्यक्ष के निर्देश के क्रम में जोन-01 में तृतीय तल के अवैध निर्माण के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित की गयी।

जिसमें वार्ड-सिकरौल, मौजा-सिकरौल के अंतर्गत लल्लूराम पुत्र स्व0 सीताराम द्वारा लगभग 383 वर्गमीटर क्षेत्रफल में जी+2 तलों का शमन मानचित्र स्वीकृत कराकर स्थल पर स्वीकृत मानचित्र के विपरीत जी+2 तल के ऊपर तृतीय तल का अनाधिकृत रूप से निर्माण कार्य किया गया था, जिसके क्रम में बुधवार को अनधिकृत रूप से निर्मित तृतीय तल को ध्वस्त किया गया।मौके पर जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा एवं अवर अभियंता रोहित कुमार तथा प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर उपस्थित रहे।

परफेक्ट मिशन–दि0 21.08.2025

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 82 आवासों का हुआ आवंटन

वाराणसी (परफेक्ट मिशन)। वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा बुधवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 82 आवासों का आवंटन किया गया। यह आवंटन गिरिजा देवी सांस्कृतिक संकुल, चौकाघाट में आयोजित लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से संपन्न हुआ।

प्राधिकरण द्वारा आयोजित इस लॉटरी में कुल 642 लाभार्थियों के सापेक्ष ग्राम हरहुआ एवं कुरहुआ स्थित 82 आवासों का पारदर्शी तरीके से आवंटन किया गया। लाभार्थियों की प्रत्यक्ष उपस्थिति में पूरी कार्यवाही को संपन्न कराया गया, जिससे प्रक्रिया की निष्पक्षता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित हो सकी। इस अवसर पर उपाध्यक्ष, वाराणसी विकास प्राधिकरण पुलकित गर्ग, अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व) वाराणसी वंदिता श्रीवास्तव, सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा, परियोजना अधिकारी (डूडा) निधि वाजपेयी, प्रभारी अधिकारी संपत्ति आनंद प्रकाश तिवारी, सहायक संपत्ति अधिकारी रमेश दुबे, सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।